न्यायालय :— अपर सेशन न्यायाधीश, सं0—2 नोहर, जिला—हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी	—:	**रामकन्या सोनी,** R.J.S.(DJ Cadre)
सेशन प्रकरण CIS संख्या	—:	**73 / 2021**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	—:	367 / 2021
पुलिस थाना	—:	नोहर (हनुमानगढ़)

CNR No. RJHG070014032021

राजस्थान राज्य

——अभियोगी

बनाम

महेन्द्र पुत्र रावताराम निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

——अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा **306 विकल्प में 302** भा0दं0सं0

उपस्थिति :—

01. श्री दिनेश भाटी, अपर लोक अभियोजक — राज्य की ओर से।
02. श्री मुरारी लाल चोमवाल, अधिवक्ता — अभियुक्त की ओर से।
03. श्री छोटूराम सहू, अधिवक्ता — परिवादी पक्ष की ओर से।

—: निर्णय :—

दिनांक :— 22—07—2026

01. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य प्रकार हैं कि दिनांक 17—08—2021 को परिवादी सुशील कुमार ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसका भाई ओमप्रकाश पुत्र भजनलाल आठ दिन पूर्व महेन्द्र पुत्र रावताराम, ओमप्रकाश पुत्र महेन्द्र, कालूराम, राजेन्द्र, गौरीशंकर के साथ गाड़ी लेकर यू.पी. गया था। कालूराम रिश्तेदारी में रूक गया, फिर ओमप्रकाश, महेन्द्र, उसका भाई, गौरीशंकर, राजेन्द्र वापिस रवाना हो गए। उक्त महेन्द्र, ओमप्रकाश, राजेन्द्र, गौरीशंकर वहां पर एकराय होकर उसके भाई ओमप्रकाश को नशीला पदार्थ देकर मारपीट कर उसे यू.पी. में सूने पड़े

खेतों में फेंककर आ गए। ओमप्रकाश को होश आने पर कालूराम को फोन कर उक्त घटना बताई। फिर कालूराम आकर उसके भाई ओमप्रकाश को वापिस ले गया और फिर बस से दोनों नोहर आ गए। दिनांक 12—08—2021 को उसके भाई ने करीब 1:30 बजे दोपहर उसके चचेरे भाई काशीराम के फोन नम्बर 7740986468 पर फोन किया कि महेन्द्र व ओमप्रकाश उसे टोर्चर कर रहे हैं तथा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। काशीराम ने उसके साथ महेन्द्र व ओमप्रकाश को फोन कर लाईन पर लेकर बात की, तब महेन्द्र व ओमप्रकाश ने फोन पर कहा कि वे ओमप्रकाश को जान से मारेंगे। उन्होंने रोहताश को तोड़ा था, उसी तरह से तोड़ेंगे। उसका भाई 6 बजे शाम को लाखासर जाने के लिए कहकर गया था। उस वक्त उसके भाई के पास फोन पर ओमप्रकाश व महेन्द्र के फोन आ रहे थे। करीब 8 बजे शाम को राजेन्द्र का फोन आया कि तुम्हारे भाई ने आपूवाला व लाखासर के बीच जोहड़े पर जहरीला पदार्थ पिलाया है। उसे लाखासर के राजपूतों की गाड़ी में डालकर नोहर अस्पताल लेकर आए हैं। जब वह अस्पताल पहुंचा और देखा तो उसके भाई ने जहरीला पदार्थ पीया हुआ था व उसने बताया कि उसने ओमप्रकाश, महेन्द्र, गौरीशंकर व राजेन्द्र से तंग आकर जहर पीया है व उसने अपने हाथ से अपने फोन से सुसाईड नोट लिख दिया है। हालत खराब होने पर उसके भाई को सिरसा रैफर कर दिया। रात्रि में उसके भाई के फोन को देखा तब फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट डाल रखी थी कि उसको ओमप्रकाश व महेन्द्र कारेला मरने पर मजबूर रहे हैं, उसकी मौत का कारण ये लोग हैं। उसके भाई को उक्त ओमप्रकाश, गौरीशंकर, राजेन्द्र व महेन्द्र ने तंग परेशान कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे उसके भाई की मृत्यु हो गई, आदि तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त महेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया गया। जहां से प्रकरण कमिट होकर न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं0—1 नोहर को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् श्रीमान् जिला एवम् सेशन न्यायाधीश,

हनुमानगढ़ के आदेशानुसार उक्त प्रकरण अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त महेन्द्र के विरूद्ध धारा 306 विकल्प में धारा 302 भा0दं0सं0 की प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध होने से उसे उपर्युक्तानुसार वर्णित अपराधों का आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उसने सुन समझकर आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहों को पेश कर परीक्षित करवाया –:

क्र. सं.	गवाह सं0	गवाह का नाम	क्र. सं.	गवाह सं0	गवाह का नाम
01.	**PW-1**	सुभाषचन्द्र	10.	**PW-10**	शंकरलाल
02.	**PW-2**	भंवर सिंह	11.	**PW-11**	रामकरण
03.	**PW-3**	बलवान सिंह	12.	**PW-12**	डॉ0 शंकरलाल
04.	**PW-4**	सुशील कुमार	13.	**PW-13**	चेतराम
05.	**PW-5**	काशीराम	14.	**PW-14**	संदीप कुमार
06.	**PW-6**	राजेन्द्र	15.	**PW-15**	कैलाशचन्द्र
07.	**PW-7**	शंकरलाल	16.	**PW-16**	भोलाराम
08.	**PW-8**	विद्या देवी	17.	**PW-17**	डॉ0 विनय सिंघला
09.	**PW-9**	संध्या	-	-	–

04. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पक्ष की साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजात् को प्रदर्शित करवाया –:

क्र.सं.	दस्तावेज संख्या	दस्तावेज का नाम
01.	**ExP-1**	मालखाना रजिस्टर की प्रति
02.	**ExP-2, 3**	रोजनामचा आम
03.	**ExP-4**	अग्रेषण पत्र जारी करने हेतु पत्र
04.	**ExP-5**	अग्रेषण पत्र

05.	**ExP-6**	प्राप्ति रसीद
06.	**ExP-7**	लिखित रिपोर्ट
07.	**ExP-8**	प्रथम सूचना रिपोर्ट
08.	**ExP-9**	फर्द सूरत लाश मृतक ओमप्रकाश
09.	**ExP-10**	फर्द पंचायतनामा मृतक ओमप्रकाश
10.	**ExP-11**	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक ओमप्रकाश
11.	**ExP-12**	नक्शा मौका घटनास्थल
12.	**ExP-12a**	हालात मौका
13.	**ExP-13**	फर्द जब्ती सुसाईड नोट
14.	**ExP-14**	फर्द जब्ती एक डायरी
15.	**ExP-15**	फर्द जब्ती एक डी.वी.डी.
16.	**ExP-16**	फर्द विश्लेषण डी.वी.डी. कैसेट
17.	**ExP-17**	लिखित रिपोर्ट
18.	**ExP-18**	पोस्मार्टम रिपोर्ट
19.	**ExP-19**	इंडोर फाईल
20.	**ExP-20**	पोस्मार्टम हेतु तहरीर
21.	**ExP-21**	अग्रेषण पत्र जारी करवाने हेतु पत्र
22.	**ExP-22**	अग्रेषण पत्र
23.	**ExP-23**	प्राप्ति रसीद
24.	**ExP-24, 25**	धारा 65बी हेतु पत्र
25.	**ExP-26**	कॉल डिटेल
26.	**ExP-27**	धारा 65बी का प्रमाण पत्र
27.	**ExP-28**	फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम महेन्द्र
28.	**ExP-29**	सूचना गिरफ्तारी
29.	**ExP-30, 34**	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
30.	**ExP-31, 32**	रोजनामचा आम
31.	**ExP-33**	सुसाईड नोट
32.	**ExP-35**	कॉल डिटेल

05. अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश की गई साक्ष्य के स्पष्टीकरण के तौर पर अभियुक्त को धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित किया गया,

जिसमें उसने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना अभिकथित कर साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा तथा दस्तावेजी साक्ष्य में पुलिस बयान सुभाष प्रदर्श डी–1, पुलिस बयान काशीराम प्रदर्श डी–2, पुलिस बयान कालूराम प्रदर्श डी–3 को प्रदर्शित करवाया।

06. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार है –:

''आया अभियुक्त ने दिनांक 12–08–2021 को एवम् इससे पूर्व परिवादी सुशील के भाई ओमप्रकाश को रूपयों के लेनदेन के कारण तंग–परेशान व मारपीट कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर उसे आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप ओमप्रकाश के द्वारा जहर पीकर आत्महत्या कर ली गई ?''

—–विकल्प में—–

''आया अभियुक्त ने दिनांक 12–08–2021 को परिवादी सुशील के भाई ओमप्रकाश को रूपयों के लेनदेन की रंजिश के कारण उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से यह ज्ञान रखते हुए कि उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी, उसे जहर पिलाकर उसकी हत्या की ?''

यदि हां तो उचित दण्ड ?

07. दौराने बहस अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि न्यायालय के सामने आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध संदेह से परे साबित है, इसलिए अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर विधि विहित दण्ड से दण्डित किया जाए।

08. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दौराने बहस मौखिक रूप से यह तर्क दिए गए कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी सुशील कुमार के द्वारा अपने भाई ओमप्रकाश की मृत्यु के संबंध में पुलिस थाना नोहर में दिनांक 17–08–2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 के अनुसार परिवादी सुशील के भाई ओमप्रकाश का दिनांक 12–08–2021 को भाखरावाली व लाखासरा जोहड़े के बीच जहरीला पदार्थ पीना बताया गया है। दिनांक 12–08–2021 से लेकर दिनांक 17–08–2021 के मध्य की अवधि में मृतक ओमप्रकाश के रिश्तेदारों या परिवादी सुशील कुमार के द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना नोहर में दर्ज नहीं करवाई गई तथा विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कोई न्यायोचित कारण भी प्रार्थी के द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट व बयानों में आलेखित नहीं किया गया है। अनुसंधान अधिकारी के द्वारा बाद अनुसंधान अभियुक्त महेन्द्र पुत्र रावताराम के विरूद्ध धारा 306 विकल्प में धारा 302 सपठित धारा 109 भा0दं0सं0 का आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। जहां तक धारा 302 भा0दं0सं0 के आरोप का प्रश्न है, उसके संबंध में स्वयं अभियोजन पक्ष के गवाहान ने यह स्पष्ट कथन किया है कि जब मृतक ओमप्रकाश के द्वारा जहर पीया गया था, तब उस समय अभियुक्त महेन्द्र मौके पर उपस्थित नहीं था, न ही मृतक ओमप्रकाश के शरीर पर किसी तरह के कोई जाहिरा चोट के निशान पाए गए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित फर्द सूरत हाल लाश प्रदर्श पी–9 व पंचनामा प्रदर्श पी–10 में भी स्वयं उपस्थित गवाहान ने मृतक ओमप्रकाश की मृत्यु का कारण जहर पीना आलेखित करवाया है। यदि अभियुक्त महेन्द्र के द्वारा मृतक ओमप्रकाश को जबरदस्ती जहर पिलाया गया होता तो अवश्य ही उसके शरीर पर चोट के निशान होते। पंचनामा व फर्द सूरत हाल लाश के गवाह उक्त तथ्य के संबंध में अभियुक्त महेन्द्र के विरूद्ध तथ्य आलेखित करवाते, किन्तु पंचनामा में न तो कोई जाहिरा चोट का अंकन है, न ही अभियुक्त महेन्द्र के द्वारा शराब पिलाने के संबंध में गवाहान के द्वारा कोई तथ्य अंकित करवाए गए हैं। तथाकथित सुसाईड नोट जो

मृतक ओमप्रकाश के द्वारा लेखबद्ध करने का अभिकथन प्रार्थी के द्वारा किया गया है, वह भी अपने आपमें संदेहास्पद है। प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट और बयानों के अनुसार मृतक ओमप्रकाश के द्वारा जहर पीया गया था, तब उसकी जेब से ही सुसाईड नोट प्रार्थी सुशील कुमार को दिनांक 12–08–2021 को प्रापत हो गया था, किन्तु दिनांक 12–08–2021 से लेकर दिनांक 17–08–2021 तक प्रार्थी सुशील कुमार के द्वारा इस सुसाईड नोट के संबंध में कोई पुलिस कार्यवाही की गई हो या सुसाईड नोट पुलिस को सुपुर्द किया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। सुसाईड नोट काफी समय से प्रार्थी के कब्जे में रहा। सुसाईड नोट के अवलोकन से भी प्रकट होता है कि इस पर कोई तारीख का अंकन नहीं है, न ही यह सुसाईड नोट मृतक ओमप्रकाश के द्वारा ही लेखबद्ध किया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। इसके अलावा अभियोजन पक्ष के हितबद्ध साक्षीगण के बयानों के अनुसार मृतक ओमप्रकाश द्वारा मृत्यु से पूर्व अपनी मृत्यु के कारण आलेखित करते हुए एक पोस्ट फेसबुक पर अपलोड करने के तथ्य आलेखित करवाए हैं, परन्तु ऐसी कोई पोस्ट जो फेसबुक पर अपलोड की गई हो, के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर अनुसंधान अधिकारी के द्वारा गवाह काशीराम की कॉल रिकॉर्डिंग को कॉल विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया है, किन्तु यह मृतक ओमप्रकाश के जहर पीने के पश्चात् की कॉल रिकॉर्डिंग है और कॉल रिकॉर्डिंग के संबंध में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करवाया गया है। प्रदर्शित करवाई गई सी.डी.आर. से यह कहीं भी प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त महेन्द्र मृतक ओमप्रकाश के साथ दिनांक 12–08–2021 को सम्पर्क में था और उसके द्वारा मृतक ओमप्रकाश को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया। केवल और केवल तथाकथित सुसाईड नोट में नाम अंकित करने के आधार पर ही यह माना जाना विधिसंगत नहीं है कि अभियुक्त महेन्द्र के द्वारा मृतक ओमप्रकाश को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया, क्योंकि अन्य कोई स्वतंत्र साक्षी या दस्तावेजी साक्ष्य से

दुष्प्रेरित किए जाने के तथ्य की ताईद नहीं होती है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित सभी मौखिक गवाहान हितबद्ध साक्षी हैं, स्वतंत्र साक्षी नहीं हैं, मृतक के रिश्तेदार हैं, जिनके द्वारा बढ़ा–चढ़ाकर तथ्यों को आलेखित करवाया गया है। सभी गवाहान के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी कारणों से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है, अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किए –:

01. Cr.L.R. 2025 (SC) 1170

02. Cr.L.R. 2026(1) (Raj.) 85

03. Cr.L.R. 2026(1) (Raj.) 393

04. Cr.L.R. 2025(4) (Raj.) 1892

05. CRI. L. J. 1995 Page 3066

06. CRI. L. J. 1997 Page 935

09. दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

10. विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में गवाह पी0ड0 1 सुभाषचन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में यह कथन किया कि करीब दो साल पहले सुबह सुबह सात–साढ़े सात बजे नौरंग सिंह ने उसे बताया कि ओमप्रकाश ने उसे फोन किया है कि वह जोहड़ पर जहर पीने का प्रयास कर रहा है। वह, नौरंग सिंह, ओमप्रकाश, बजरंग आदि गाड़ी में बैठकर भाखडावाली जोहड़ी के पास गए, जहां झाड़ियों में ओमप्रकाश मिल गया, जिसकी सांसे चल रही थी, जहर पीया हुआ था, मौके पर उसकी मोटरसाईकिल पड़ी हुई थी। उन्होंने ओमप्रकाश को गाड़ी में डालकर साहवा बस स्टैण्ड

स्थित शुभम अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां पर उसके परिवार के लोग मौजूद थे।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने इस सुझाव को गलत बताया कि ओमप्रकाश के परिवार से उसके अच्छे तालुकात हों और उस कारण वह गलत बयानी कर रहा हो। पुलिस ने उनके समक्ष लोकेशन के बारे में और मरीज की स्थिति के बारे में पूछताछ की थी, अन्य कोई कार्यवाही नहीं की।

11. गवाह पी0ड0 2 नौरंग सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में बताया कि करीब दो साल पहले वह नोहर से अपने गांव लाखासर जा रहा था, गोरखाना के पास उसके पास ओमप्रकाश का फोन आया और उसने कहा कि उसकी हालत खराब है, उसे बचा लो। उसके बाद फोन पर उसने हेलो–हेलो तीन–चार बार कहा, उसकी आवाज नहीं आ रही थी। फिर ओमप्रकाश के भाई ने अपने परिवार के सदस्यों को फोन किया, जिन्होंने ओमप्रकाश को उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। ओमप्रकाश भाखरावाली जोहड़ी के पास पड़ा था, वहां से उसके परिवार वाले उठाकर लाए थे।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि उसके पास ओमप्रकाश के केवल हेलो–हेलो की आवाज आई थी और कोई बात नहीं हुई, यही बात उसने उनके भाई को बता दी थी। उसने इस सुझाव को सही बताया कि उसके ओमप्रकाश के परिवार के साथ अच्छे तालुकात हैं।

12. गवाह पी0ड0 3 बलवान सिंह, तत्कालीन मालखाना इंचार्ज ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया कि दिनांक 22–08–2021 को मृतक ओमप्रकाश का एम.ओ. द्वारा लिया गया सैम्पल व दिनांक 26–08–2021 को दो सील्ड जार मृतक ओमप्रकाश के एम.ओ. द्वारा लिए गए विसरा उसे सुपुर्द किए, जिसका इन्द्राज उसने मालखाना के रजिस्टर की मद सं0 725 पर किया। दिनांक 31–08–2021 को शंकरलाल एफ.सी. को

सील्ड जार मार्क ए व बी अग्रेषण पत्र जारी करवाकर एफ.एस.एल. में जमा करवाने के लिए दिए, जिसने रसीद संख्या 539 पेश की। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–1, शंकरलाल की रवानगी व आमद क्रमशः प्रदर्श पी–2 व पी–3, अग्रेषण पत्र जारी करवाने हेतु दी गई तहरीर प्रदर्श पी–4, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–5 व एफ.एस.एल. रसीद प्रदर्श पी–6 है।

13. गवाह पी0ड0 4 सुशील कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में बताया कि मृतक ओमप्रकाश उसका सगा छोटा भाई था, जो दिनांक 10 या 11 अगस्त 2021 को उनके गांव के महेन्द्र, ओमप्रकाश पुत्र महेन्द्र, कालूराम, राजेन्द्र व गौरीशंकर के साथ गाड़ी लेकर यू.पी. गया हुआ था। वहां कालूराम स्वामी रिश्तेदारी में रूक गया। उसका भाई ओमप्रकाश, ओमप्रकाश पुत्र महेन्द्र, गौरीशंकर, राजेन्द्र व महेन्द्र वहां से वापिस रवाना हो गए। रास्ते में महेन्द्र, ओमप्रकाश, राजेन्द्र व गौरीशंकर ने उसके भाई को जान से मारने के लिए एकराय होकर उसके साथ मारपट की और उसे यू.पी. में सूने खेतों में फेंक दिया। ओमप्रकाश को होश आने पर उसने कालूराम स्वामी को फोन किया। कालूराम स्वामी आकर उसके भाई ओमप्रकाश को अपने साथ वापिस ले आया। दिनांक 12–08–2021 को उसके भाई ओमप्रकाश ने करीब 1:30 पी.एम. पर उसकेक चचेरे भाई काशीराम को फोन किया और कहा कि महेन्द्र व ओमप्रकाश उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके भाई ओमप्रकाश ने महेन्द्र व ओमप्रकाश पुत्र महेन्द्र के कॉन्फ्रेंस पर लेकर बात की कि आप ओमप्रकाश को कुछ मत करना, ना ही उसके साथ मारपीट करना। इस पर महेन्द्र व ओमप्रकाश ने काशीरम से कहा कि उन्होंने रोहिताश पुत्र सरजीत को जिस प्रकार तोड़ा था, उसी प्रकार ओमप्रकाश सोनी को मारेंगे। इसके करीब 15–20 मिनट बाद उसका भाई नोहर आया व करीब शाम 6:00 बजे लाखासर जाने के लिए कहकर उसके पास से चला गया। फिर उसके रिश्तेदार राजेन्द्र सोनी का उसके पास शाम करीब 8:00 बजे फोन आया कि आपके भाई ओमप्रकाश ने आपूवाला व लाखासर के बीच नोहरे पर जहरीला पदार्थ पी लिया है।

उसे लाखासर के राजपूतों की गाड़ी में डालकर नोहर अस्पताल लाए हैं। उसने अस्पताल पहुंचकर देखा तो उसके भाई ने जहर पी रखा था। उसने बताया कि ओमप्रकाश व महेन्द्र ने उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके टॉर्चर से उसने जहर पीया है, उसने अपने हाथ से सुसाईड नोट लिख दिया है। ओमप्रकाश की हालत ज्यादा खराब होने पर उसे सिरसा व अग्रोहा मोड़ इलाज के लिए लेकर गए। उसने अपने भाई के फोन को देखा तो उसने फेसबुक अकाउंट पर भी पोस्ट डाल रखी थी कि उसे ओमप्रकाश व महेन्द्र मरने पर मजबूर कर रहे हैं। इस संबंध में उसने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 पेश की, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–8, फर्द सूरत लाश प्रदर्श पी–9, पंचायतनामा प्रदर्श पी–10, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–11, नक्शा मौका प्रदर्श पी–12, सुसाईड नोट प्रदर्श पी–13 हैं। ओमप्रकाश द्वारा हस्तलिखित डायरी प्रदर्श पी–14 व डी.वी.डी. कैसेट प्रदर्श पी–15 तथा विश्लेषण रिपोर्ट प्रदर्श पी–16 है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने इस सुझाव को सही बताया कि वह घटना के वक्त भी पंचायत समिति में लिपिक के पद पर कार्यरत था। उसके चचेरे भाई काशीराम की कालूराम से बात हुई, जिसमें ये बात आई थी कि ओमप्रकाश को नशीला पदार्थ देकर यू.पी. के सूने खेतों में डाल आए। कालूराम ओमप्रकाश से हॉस्पीटल मिलने गया, तब उसने यह बात बताई थी। उससे ओमप्रकाश ने खुलकर बात नहीं की, क्यांकि वह उस हालत में नहीं था। जब वह अग्रोहा हॉस्पीटल में ओमप्रकाश को भर्ती करवा रहा था, तो उसके फोन में फेसबुक अकाउंट चैक किया तो उसमें ओमप्रकाश का सुसाईड नोट पोस्त किया हुआ था कि उसे महेन्द्र व ओमप्रकाश मरने पर मजबूर कर रहे हैं। उक्त पोस्ट दिनांक 12–08–2021 के समय करीब साढ़े सात पौन आठ की थी। आगे गवाह ने कथन किया कि उसे इस बाबत् दिनांक 12–08–2021 को सूचना मिल गई थी, जिस पर उसने अपने भाई ओमप्रकाश के मोबाईल पर फोन किया तो अन्य व्यक्ति ने उठाया, जिसने ओमप्रकाश को चिकित्सालय में लाने बाबत् बताया था। उसके बाद वह आया और शुभम हॉस्पीटल से ओमप्रकाश को सिरसा संजीवनी

हॉस्पीटल ले गया, वहां से रात्रि को करीब 1 बजे पहुंच गया व पहुंचकर एडमिट करवा दिया। ओमप्रकाश की मृत्यु दिन के 11 बजे अग्रोहा हॉस्पीटल में हुई थी। वहां से डेड बॉडी रिलीज करीब 11:00 बजे कर दी और वे बॉडी लेकर करीब 1:30 बजे पहुंच गए थे, जो सीधे पुलिस थाना पहुंचे। सबसे पहले प्रार्थना पत्र दिया, उसके बाद उसके बयान हुए, उसके बाद ओमप्रकाश का पोस्मार्टम करीब चार बजे हुआ था। उसे नहीं पता कि उसके भाई ने महेन्द्र को यह कहा हो कि वह यू.पी. से लड़की लाकर उसके बेटे की शादी करवा देगा, अजखुद कहा कि महेन्द्र की बात कालूराम से हुई है तो इस बात का उसे पता नहीं। डी.वी.डी. उसे काशीराम ने दी थी। उसे ओमप्रकाश की पॉकेट से सुसाईड नोट दिनांक 12–08–2021 को मिला था। उसने एफ.आई.आर. दर्ज होने तक उक्त सुसाईड नोट अपने पास ही रखा।

14. गवाह पी0ड0 5 काशीराम ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में कथन किया कि वह सुनार का काम करता है। मृतक ओमप्रकाश उसके चाचा का लड़का था। दिनांक 12–08–2021 को करीब साढ़े दस बजे उसके पास फोन आया कि महेन्द्र कारेला उसे टॉर्चर कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसने पूछा कि क्या बात हुई तो उसने कहा कि वह पैसे मांग रहा है। इस पर उसने ओमप्रकाश को कहा कि वह महेन्द्र से बात करता है। उसने उसी समय महेन्द्र कारेला को फोन किया कि क्या बात हो गई, आप ओमप्रकाश को क्यों परेशान कर रहे हो तो उसने बताया कि वह, कालूराम स्वामी, ओमप्रकाश यू.पी. में अपने लड़के का रिश्ता देखने गए थे तब उसने दस हजार रूपए ओमप्रकाश के खाते में व पचास हजार रूपए ओमप्रकाश के हाथों कालूराम स्वामी को दिलवाए थे, जिनमें से उक्त लोगों ने 44,750/–रूपए वापिस दे दिए थे व करीब पन्द्रह हजार रूपए बकाया हैं। फिर उसने फोन काटकर अपने भाई ओमप्रकाश को मिलाया व महेन्द्र को लाईन पर ले लिया। उसने महेन्द्र को कहा कि आप ओमप्रकाश के साथ पैसे के लिए झगड़ा मन करना, आप मेरी दुकान पर आकर आपके बाकी पन्द्रह हजार रूपए ले जाना। जिस पर महेन्द्र ने

कहा कि उसे तो ओमप्रकाश को देखना है, उन्होंने कड़वासरा के लड़कों के साथ मारपीट करके चारपाई पर डाल दिया था, वैसे ही इसको डाल देंगे। उसी दिन करीब डेढ़ बजे ओमप्रकाश उसके पास नोहर आया था और शाम को करीब 6 बजे कालूराम स्वामी के पास जाने का कहकर उसके पास गया था और कहा कि दूसरे दिन कल सुबह वह महेन्द्र कारेला पर केस करेगा वह उसे टॉर्चर करता है। इसके बाद रात्रि साढ़े आठ बजे उसके पास किसी जानकार का फोन आया था कि ओमप्रकाश ने स्प्रे पी ली है, जिसे लेकर नोहर आ रहे हैं। फिर वह शुभम हॉस्पीटल गया तो वहां पर ओमप्रकाश भर्ती था। रात्रि करीब साढ़े ग्यारह बजे उसी दिन ओमप्रकाश को रैफर कर दिया, जिसे संजीवनी हॉस्पीटल सिरसा भर्ती करवाया था। दिनांक 16–08–2021 तक इलाज चलता रहा। फिर ओमप्रकाश को अग्रसैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां उसकी दिनांक 17–08–2021 को मृत्यु हो गई। ओमप्रकाश को महेन्द्र कालेरा ने धमकी दी थी, जिस कारण उसने स्प्रे पी लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फर्द सूरत लाश प्रदर्श पी–9, पंचायतनामा प्रदर्श पी–10, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–11, सुसाईड नोट प्रदर्श पी–13 व ओमप्रकाश की डायरी प्रदर्श पी–14 हैं।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि ओमप्रकाश की मृत्यु के समय भी वह एयरटेल व जिओ सिम इस्तेमाल करता था, जिस बारे में उसने पुलिस को बता दिया था और उससे हुई वार्ता बाबत् भी बता दिया था। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल ली थी। उसने ओमप्रकाश को फोन मिलाने व महेन्द्र कालेरा को लाईन पर लेते समय दो सिम का मोबाईल यूज किया था और उसने अपनी कॉल को रिकॉर्ड भी किया था। उसने अपनी रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी थी। ओमप्रकाश को शुमभ हॉस्पीटल में गांव के लोगों ने भर्ती करवाया था। गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि ओमप्रकाश ने महेन्द्र से रूपए लिए हुए थे। उसने प्रदर्श पी–13 व पी–14 पर बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं किए थे, 43 पन्नों की डायरी थी, उसको देखकर ही हस्ताक्षर किए थे।

15. गवाह पी0ड0 6 राजेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में कथन किया कि दिनांक 12—08—2021 को घर जाकर उसने अपना मोबाईल देखा तो वॉट्सअप पर उनके समाज के ग्रुप पर ओमप्रकाश सोनी द्वारा शेयर किया हुआ सुसाईड नोट आया हुआ था, जिसे देखकर उसने ओम सोनी के बड़े भाई सुशील को फोन किया। करीब 8 बजे उसके पास सुशील का फोन आया कि मामा आप साहवा अड्डा आ जाओ, उसके भाई ओमप्रकाश ने स्प्रे पी ली है। वह शुभम हॉस्पीटल नोहर गया, जहां ओमप्रकाश सोनी को स्प्रे पीने के बाद इलाज के लिए भर्ती करवाया था। ओमप्रकाश बेहोशी की हालत में था। बाद में उसे इलाज के लिए सिरसा रैफर कर दिया।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि उसने कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की, उसने केवल सुशील को बता दिया था। उसने ग्रुप से उक्त संदेश आने का कोई प्रिंट नहीं निकलवाया।

16. गवाह पी0ड0 7 शंकरलाल व पी0ड0 14 संदीप कुमार प्रकरण के केरियर साक्षी हैं, जिन्होंने अपने सशपथ कथनों में प्रकरण का वजह सबूत मालखाना इंचार्ज से प्राप्त कर एफएसएल कार्यालय बीकानेर में जमा करवाने संबंधी कथन किए हैं।

17. गवाह पी0ड0 8 विद्या देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में बताया कि घटना से 8—10 दिन पहले महेन्द्र उसके लड़के ओमप्रकाश को अपने लड़के की शादी के लिए लड़की देखने के लिए यू.पी. की तरफ लेकर गया था। बाद में उसके लड़के ओमप्रकाश के साथ महेन्द्र वगैरह मारपीट कर उसको वहीं पर छोड़कर आ गए थे। दिनांक 12—08—2021 को शाम करीब 5—6 बजे महेन्द्र उसके घर आया और उससे उसके लड़के ओमप्रकाश के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो तो तुम्हारे साथ ही गया था तो महेन्द्र ने कहा कि आज वो गांव आ रहा है, उसने उसके रूपए वापिस नहीं दिए तो वह उसको गांव नहीं पहुंचने देगा रास्ते में मिल गया तो वहीं मारेगा। यह धमकी देकर महेन्द्र वापिस

चला गया। यह बात उसने अपने देवर शंकरलाल को बताई। उसी दिन आठ–नौ बजे उसे पता चला कि उसके लड़के ओमप्रकाश को महेन्द्र ने मारकर भाखड़ावाली जोहड़ी के पास डाल दिया है। उसके बेटे को ढूंढने के लिए नौरंग सिंह, सुभाष व अन्य कई लोग गए, जिन्हें उसका बेटा ओमप्रकाश भाखड़ावाली जोहड़ी की झाड़ियों के पास बेहोशी की हालत में मिला। उसके बेटे ओमप्रकाश को महेन्द्र पुत्र रावताराम ने जबरदस्ती जहर पिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–17 है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने बताया कि ओमप्रकाश को महेन्द्र अपने बेटे की शादी के लिए यू.पी. लेकर गया था, फिर उसका बेटा वापिस नहीं आया। उक्त सारी बातें उसने प्रदर्श पी–17 में नहीं लिखीं तो वह कारण नहीं बता सकती।

18. गवाह पी0ड0 9 संध्या ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में कथन किया कि उसकी शादी ओमप्रकाश के साथ करीब 4 वर्ष पहले हुई थी। घटना से पूर्व वह गर्भवती होने के कारण अपने पीहर गई हुई थी। दिनांक 12–08–2021 को शाम करीब 4 बजे उसके पति ने फोन पर बात की और कहा कि घर जाकर बात करेगा। उसने पूछा कि कोई परेशानी है क्या, तो उसके पति ओमप्रकाश ने बताया कि महेन्द्र व दिलावर ने उसके साथ बहुत गलत बात की है और मारपीट भी की है। फिर उसे उसके ननदोई ने बताया कि उसके पति ओमप्रकाश बेहोश पड़े हैं व उसके पति को महेन्द्र व दिलावर ने जहर पिला दिया है। महेन्द्र व दिलावर के द्वारा उसके पति को जबरदस्ती जहर पिला देने से उसके पति की चार–पांच दिन बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने इस सुझाव को गलत बताया कि उसका पति महेन्द्र के अविवाहित लड़के की शादी हेतु यू.पी. गया हो, स्वयं कहा कि गया नहीं था, महेन्द्र लेकर गया था और वहां पर जाने के बाद मारपीट हुई थी। उसके पति ओमप्रकाश ने महेन्द्र से पैसा नहीं लिया था, बल्कि जाने का जो खर्चा लिया था, जो

महेन्द्र वापिस मांग रहा था। फिर कहा कि उसके पति ने कोई पैसे नहीं लिए।

19. गवाह पी0ड0 10 शंकरलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में बताया कि दिनांक 12–08–2021 को महेन्द्र ने ओमप्रकाश की माता को ओमप्रकाश को जान से मारने की धमकी दी थी। फिर उसी दिन शाम को आठ बजे के करीब ओमप्रकाश गांव के पास ही भाखरावाली जोहड़ी में मरणासन्न हालत में मिला था, जिसे इलाज हेतु नोहर लेकर गए थे। बाद में उन्हें पता चला था कि महेन्द्र व दिलावर ने ओमप्रकाश को डरा धमकाकर जहरीला पदार्थ पिलाकर भाखरावाली जोहड़ी की ताल में फेंक दिया, जिससे ओमप्रकाश की मौत हो गई।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि उसके पुलिस बयान में यदि मुख्य परीक्षा अनुसार कथन नहीं हैं तो इसका कारण वह नहीं बता सकता। उसकी भाभी ने बताया कि महेन्द्र व दिलावर ने ओम को डरा धमकाकर जहरीला पदार्थ पिलाकर जोहड़ी की तरफ फेंक दिया है।

20. गवाह पी0ड0 11 रामकरण प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में इस प्रकरण में अनुसंधान के दौरान की गई कार्यवाहियों, तैयार/शामिल की गई फर्दात् के बारे में कथन किए हैं। इस गवाह की साक्ष्य के दौरान प्रकरण के वजह सबूत सी.डी. कैसेट को चलाए जाने पर काशीराम सोनी व कालूराम स्वामी के बीच बातचीत होना सुनाई दे रहा है, काशीराम सोनी द्वारा कालूराम स्वामी से मृतक ओमप्रकाश व अभियुक्त महेन्द्र व परिजनों के द्वारा किसी रिश्ते बाबत् लड़की देखने के लिए यू.पी. जाने व मृतक ओमप्रकाश के साथ अभियुक्त महेन्द्र व उसके परिजनों द्वारा मारपीट व टॉर्चर करने के बारे में पूछा ता रहा है, जिस पर उक्त कालूराम स्वामी द्वारा इस बबात् ओमप्रकाश के साथ अभियुक्त महेन्द्र व उसके परिजनों द्वारा मारपीट करने व उसके टॉर्चर करने की बात कही जा रही है।

21. गवाह पी0ड0 12 डॉ0 शंकरलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में बताया कि वह दिनांक 17–08–2021 को सी.एच.सी. नोहर में एम.ओ. के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसने मृतक ओमप्रकाश का पोस्मार्टम कर पोस्मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 तैयार की। शव परीक्षण में चेस्ट के लेफ्ट साईड में खरोंच के निशान थे, जो नीलगू पड़े हुए थे। बाईं भुजा में मल्टीपल नीलगू निशान थे। एफ.एस.एल. हेतु विसरा की रिपोर्ट प्रदर्श पी–30 है, जिसके अनुसार मृतक के शरीर में ओर्गेनो फास्फोरस इन्सेक्टीसाईड पाए गए। उक्त तत्व शरीर में जाने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी–30 के ए से बी भाग में मेटेलिक पॉइजन आदि से संबंधित रिपोर्ट नकारात्मक आई है। ऑर्गेनो फास्फोरस इन्सेक्टीसाईड कीटनाशी है, जो सामान्यतः काश्तकारों के घरों में पाया जाता है। उसने इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी–30 के ए से बी भाग अनुसार मेटेलिक पॉइजन, मिथाइल एण्ड मिथाइल, एल्कोहल, साइनाईडस, एल्कोलोइडस आदि जहर नहीं पाए गए। ऑर्गेनो फास्फोरस इन्सेक्टीसाईड के सेवन से 24 घंटे के भीतर शरीर के बाह्य तौर पर इसका असर आता। पेट में जो खाद्य पदार्थ पाए गए, वह अधपचे पाए गए थे।

22. गवाह पी0ड0 13 चेतराम उर्फ कालूराम ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में कथन किया कि दिनांक 07–08–2021 को सुबह के आठ बजे ओमप्रकाश सोनी और उसके साथ आए हुए महेन्द्र आदि के पासा वह सतगुरू होटल फैजाबाद गया था, जहां पर महेन्द्र कारेला के लड़के के रिश्ते के लिए उसे लड़की दिखाने के लिए कहा। खानुपरा गांव में लड़की दिखाई थी। लड़की महेन्द्र कारेला को पसंद आ गई, परन्तु लड़की की मां ने कहा कि वे चार–पांच महीने तक अभी शादी नहीं करेंगे। दिनांक 10–08–2021 को महेन्द्र व महेन्द्र के लड़के ने ओमप्रकाश सोनी के साथ मारपीट की और ओमप्रकाश को फैजाबाद

बाईपास के पास छोड़ दिया। फिर ओमप्रकाश ने उसे फोन किया कि महेन्द्र व उसके लड़के ओमप्रकाश ने उसके साथ मारपीट की और उसे फैजाबाद बाईपास पर छोड़ गए। फिर वह ओमप्रकाश को अपने ससुराल ले आय। ओमप्रकाश के साथ काफी मारपीट की हुई थी, वह घबराया हुआ था। दिनांक 11–08–2021 को महेन्द्र कारेला व उसके लड़के ओमप्रकाश ने ओमप्रकाश सोनी को फोन किया कि गांव आएगा तो तुझे जान से मार देंगे। महेन्द्र कारेला के द्वारा बार–बार फोन करने से ओमप्रकाश काफी तनााव में आ गया था और इन धमकियों से घबराकर व परेशान होकर ओमप्रकाश सोनी ने आत्महत्या कर ली।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि ओमप्रकाश को जब वह लेकर आया, तब उसके साथ मारपीट की हुई थी, घबराया हुआ था व थोड़ी–बहुत चोटें भी आई हुई थी।

23. गवाह पी0ड0 15 कैलाशचन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में बताया कि दिनांक 20–10–2021 को इस प्रकरण के मोबाईल नम्बर 9785584052 व 9784332265 की कॉल डिटेल व धारा 65बी का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने बाबत् एसपी कार्यालय हनुमानगढ़ गया था। जिस बाबत् अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–24 व पी–25 हैं।

24. गवाह पी0ड0 16 भोलाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में इस प्रकरण की फर्दात् प्रदर्श पी–9 ता पी–11 पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

25. गवाह पी0ड0 17 डॉ0 विनय सिंगला ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में कथन किया कि दिनांक 13–08–2021 को वह संजीवनी अस्पताल सिरसा में कार्यरत था। उस रोज ओमप्रकाश बेहोशी की अवस्था में संजीवन अस्पताल में भर्ती हुआ था। उनके पास मरीज सीरियस व बेहोशी की अवस्था में आया था। मरीज की अवस्था पूरे तीन दिन तक सीरियस ही बनी रही और उक्त तीनों दिनों तक वेंटीलेटर पर ही रहा। उसके बाद परिजन उसे उनके अस्पताल से LAMA ले गए।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि ओमप्रकाश के पिछले अस्पताल के रेफरल कार्ड में कीटनाशक के सेवन की हिस्ट्री उल्लेखित थी, साथ ही उसके लक्षण कीटनाशक सेवन के थे। उसकी जांच सी.एच.ई. लेवल करवाई गई थी, जिससे कीटनाशक सेवन का शक होता है। दिनांक 16–08–2021 को ओमप्रकाश का अटेण्डर उसे Against Medical Advise बेस्ड लेकर गए थे। उक्त ओमप्रकाश को उनके रिकॉर्ड के मुताबिक गौरीशंकर लेकर गया था, जो मरीज का संबंध में जीजा अंकित है। ओमप्रकाश अचेत अवस्था में भर्ती हुआ और अचेत अवस्था में ही LAMA हुआ।

26. इस प्रकार पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुक्रम में पत्रावली पर प्रदर्शित करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 का अवलोकन करने से यह प्रकट है कि दिनांक 12–08–2021 की घटना के करीब 8 दिन पूर्व अभियुक्त महेन्द्र तथा उसका पुत्र निवासी लाखासर, कालूराम स्वामी, ओमप्रकाश व अन्य महेन्द्र के पुत्र ओमप्रकाश का रिश्ता करवाने के लिए यू.पी. गए थे, किन्तु रिश्ता नहीं होने पर वे वापिस नोहर आ गए। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मृतक ओमप्रकाश को अभियुक्त महेन्द्र व अन्य के द्वारा बीच रास्ते में ही उतार दिया गया। उसके पश्चात् कालूराम स्वामी उसको लेकर नोहर आया। तत्पश्चात् दिनांक 12–08–2021 को अपने चचेरे भाई काशीराम को फोन करके मृतक ओमप्रकाश के द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त महेन्द्र व ओमप्रकाश उसे टॉर्चर कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तब काशीराम के द्वारा उसके साथ महेन्द्र व ओमप्रकाश को फोन कर लाईन पर लेकर बात की गई तो महेन्द्र व ओमप्रकाश ने फोन पर कहा कि हम ओमप्रकाश (मृतक) को जान से मार देंगे, जिस तरह रोहिताश पुत्र सरजीत को तोड़ा था, उसी तरह इसे भी तोड़ेंगे। काशीराम ने उन्हें कोई मारपीट नहीं करने का कहा तथा उसके पश्चात् मृतक ओमप्रकाश शाम को करीब छह बजे लाखासर जाने का कहकर घर से निकल गया तथा शाम के करीब आठ बजे राजेन्द्र निवासी मेघाना का फोन आया कि तुम्हारा भाई आपूवाला लाखासर जोहड़े के बीच जहरीला पदार्थ पीकर

पड़ा हुआ है। फिर उसको लाखासर के राजपूतों की गाड़ी में डालकर नोहर अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसका इलाज चला।

27. प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतक ओमप्रकाश के द्वारा लेखबद्ध किए गए सुसाईड नोट का हवाला दिया गया है। दिनांक 12–08–2021 को काशीराम के साथ घटना से पूर्व दोपहर में हुई वार्ता के संबंध में स्वयं काशीराम पी0ड0 5 के रूप में परीक्षित हुआ है। स्वयं काशीराम के द्वारा अपने बयानों में इस संबंध में यह तथ्य आलेखित करवाया है कि दिनांक 12–08–2021 को उसके पास मृतक ओमप्रकाश का फोन आया था, जिसमें वह कह रहा था कि महेन्द्र कालेरा उसे बार–बार फोन कर रहा है, मारने की धमकी दे रहा है तथा पैसे की मांग कर रहा है तथा कॉन्फ्रेंस कॉल पर भी महेन्द्र के द्वारा मृतक ओमप्रकाश को डराया व धमकाया तथा उसके साथ मारपीट करने की धमकी दी गई। इसी प्रकार गवाह पी0ड0 13 कालूराम उर्फ चेतराम के बयानों के अवलोकन से प्रकट है कि दिनांक 12–08–2021 को मृतक ओमप्रकाश के द्वारा उसे बताया गया कि उसके पास महेन्द्र का फोन आया था कि नोहर पहुंचने पर उसे जान से मार देंगे। महेन्द्र के द्वारा बार–बार फोन करने पर मृतक ओमप्रकाश काफी तनाव में आ गया था तथा इन धमकियों से परेशान होकर मृतक ओमप्रकाश के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। प्रतिपरीक्षण में भी कालूराम के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किए गए कथनों के अनुसार स्पष्टतया अभिकथन किए गए हैं कि ओमप्रकाश को जब वह प्रथम घटना के पश्चात् लेकर आया था, तब वह काफी घबराया हुआ था। परिवादी सुशील के द्वारा अपने बयानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार यह तथ्य आलेखित करवाए गए हैं कि दिनांक 12–08–2021 को मृतक ओमप्रकाश, जो कि उसका भाई है, ने उसके चचेरे भाई काशीराम को फोन करके अभियुक्त महेन्द्र के द्वारा जान से मारने की धमकी देने की बात बताई थी। बचाव पक्ष का यह तर्क रहा है कि परीक्षित गवाह हितबद्ध हैं, किन्तु गवाह पी0ड0 13 कालूराम उर्फ चेतराम जो प्रथम व द्वितीय घटनाक्रम का साक्षी है, वह परिवादी पक्ष का

रिश्तेदार या हितबद्ध गवाह होना प्रकट नहीं होता है, अतः अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

28. प्रदर्शित करवाए गए दस्तावेजात् में सुसाईड नोट को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी–33 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। उक्त सुसाईड नोट को जरिए फर्द प्रदर्श पी–13 जब्त किया गया है, जिसके अवलोकन से पाया गया कि –:

प्रथम पैराग्राफ में **''आत्महत्या का कारवा है महेन्द्र कारेला लाखासर मेरे को रात्रि को लेके गया यू.पी. में वहां मेरे को सराब पीकर बहुत गाली गलौज किया अपने बेटे की सादी करने गया, मेरे को साथ जबरदस्ती ले गया फिर मेरे को वहां छोड़ आया अब मेरे को 4 दिन से फोन करता है गाली देता है बोलता है तेरा परिवार खत्म करूंगा तुम को मारूंगा गांव आ मैं मजदूरी करने वाला हूं बोलता है सूरत काम है मेरे पास सब कुछ है विधायक मेरे हाथ का है और मेरे साथ कालू उर्फ चेतराम स्वामी ननाऊ से उसको पूछना वो लाया मेरे को क्या कहा''।**

दूसरे पैराग्राफ में **''कोल की डिटेल निकालना मेरी उसकी कालू की मेरे जीना हराम कर ही हराम कर दिया है इजत से जीने वाला था वो गुंडा है पुलिस प्रशासन से निवेदन है फैसला हो कालू स्वामी से पूरी बात पूछा इतना ही है महेन्द्र, ओमप्रकाश, दिलावर लेके गया राजेन्द्र शर्मा की गाड़ी थी''**

तीसरे पैराग्राफ में **''आत्महत्या करता हूं महेन्द्र पुत्र रावताराम कारेला जाट को 8 दिन से फोन पर मेरे को चेलेंज रहे राहा कि ओमप्रकाश तेरा पूरा परिवार''**

29. उक्त सुसाईड नोट प्रदर्श पी–33 की एफ.एस.एल. रिपोर्ट को पत्रावली पर प्रदर्श पी–34 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है, जिसका परिणाम निम्नानुसार आया है –:

1) The blue enclosed disputed writing stamped and marked as Q1 to Q3 show similarities with the blue enclosed standard writing stamped and marked as A1 to A31.

30. इस प्रकार मृतक ओमप्रकाश द्वारा लिखित सुसाईड नोट प्रदर्श पी–33 में लिखित इबारत स्वयं मृतक ओमप्रकाश की हस्तलिखित होना उक्त एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–34 से पूर्णतया साबित होता है। इस संबंध में बचाव पक्ष का यह तर्क रहा है कि दिनांक 12–08–2021 से 17–08–2021 तक उक्त सुसाईड नोट प्रार्थी सुशील कुमार के कब्जे में था तथा वह इलाज के दौरान व्यस्त होना बता रहा है। किन्तु केवल इस आधार पर कि उक्त सुसाईड नोट उक्त अवधि के दौरान प्रार्थी सुशील कुमार के कब्जे में रहा, से उक्त सुसाईड नोट को झूठा नहीं माना जा सकता है।

31. मृतक की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी–9 व फर्द सूरत हाल लार्श पी–10 के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध एफ.एस.एल. रिपोर्ट को प्रदर्श पी–30 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है, जिसका परिणाम निम्नानुसार आया है –:

On chemical examination, portions of Viscera (1-6) form two packets marked A and B respectively gave positive tests for the presence of Organophosphorous Insecticide and gave negative tests for metallic poisions, ethyl and methyl alcohol, cyanide, alkaloids, barbiturates and tranquillizers.

32. इस प्रकार मृतक ओमप्रकाश के पंचनामा प्रदर्श पी–9 व फर्द सूरत हाल लाश प्रदर्श पी–10 में अंकित तथ्यों जहर/स्प्रे/कीटनाशक पीने के कारण ओमप्रकाश की मृत्यु होने की पुष्टि एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–30 से भी होती है।

33. इसी अनुक्रम में पत्रावली पर मृतक ओमप्रकाश व अभियुक्त महेन्द्र की कॉल डिटेल क्रमशः प्रदर्श पी–26 व पी–30 के अवलोकन से भी प्रकट है कि ओमप्रकाश व महेन्द्र की प्रथम घटना के पश्चात् से आपस में लगातार बात होती रही है। परिवादी सुशील व कालूराम स्वामी के मध्य हुई वार्ता से भी प्रकट होता है कि प्रथम घटना के पश्चात् ओमप्रकाश को लगातार अभियुक्त महेन्द्र परेशान किए हुए था। महेन्द्र के द्वारा रिश्ता नहीं करवाने व कुछ पैसे लौटाने की बात को लेकर परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण मृतक ओमप्रकाश मानसिक तनाव में आ गया था। उक्त तथ्यों को मृतक ओमप्रकाश ने अपने सुसाईड नोट प्रदर्श पी–33 में अंकित किया है।

34. इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए न्यायिक दृष्टांतों का विवेचन निम्नानुसार है –ः

Cr.L.R. 2025(4) (Raj.) 1892

उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रकरण में बरामदशुदा सुसाईड नोट मृतक द्वारा हस्तलिखित है या नहीं, इस संबंध में एफ.एस.एल. जांच नहीं करवाई गई, किन्तु हस्तगत प्रकरण में सुसाईड नोट प्रदर्श पी–33 मृतक ओमप्रकाश द्वारा ही लिखा गया है, यह एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–34 से पूर्णतया साबित है। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत अधिवक्ता अभियुक्त के तर्कों को बल प्रदान नहीं करता है।

CRI. L. J. 1995 Page 3066

उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह दिशा–निर्देश पारित किया गया है कि यदि पक्षों के मध्य केवल पैसों का लेनदेन हो तो इस आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त महेन्द्र के पुत्र का रिश्ता मृतक ओमप्रकाश द्वारा नहीं करवा पाने और उसके बाकी पैसे नहीं लौटाने के पश्चात् से अभियुक्त महेन्द्र के द्वारा मृतक ओमप्रकाश को लगातार फोन करके उसके साथ मारपीट करने व

जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे वह अत्यधिक तनाव में आ गया और उसके कीटनाशक का सेवन करके आत्महत्या कर ली गई। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत अधिवक्ता अभियुक्त के तर्कों को बल प्रदान नहीं करता है।

Cr.L.R. 2025 (SC) 1170

Cr.L.R. 2026(1) (Raj.) 85

Cr.L.R. 2026(1) (Raj.) 393

CRI. L. J. 1997 Page 935

उक्त न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 306 भा0दं0सं0 के अपराध में दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिए। किन्तु हस्तगत प्रकरण में पूर्व में विवेचित की गई अभियोजन पक्ष की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 306 भा0दं0सं0 के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। इसलिए अभियुक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

35. उपर्युक्तानुसार पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के संदर्भ में विधिक स्थिति निम्नानुसार है –ः

306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण – यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

'दुष्प्रेरण' के संबंध में विधिक स्थिति निम्नानुसार है –ः

107. किसी बात का दुष्प्रेरण – वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो –

पहला – उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, अथवा

दूसरा – उस बात को करने के लिए किसी षड़यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड़यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, अथवा

तीसरा – उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

36. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवम् विधिक स्थिति के तहत यह स्पष्ट है कि मृतक ओमप्रकाश, अभियुक्त महेन्द्र व उसके लड़के ओमप्रकाश व अन्य के साथ अभियुक्त महेन्द्र के लड़के का रिश्ता करवाने के लिए प्रथम घटना के समय यू.पी. गया, जहां अभियुक्त महेन्द्र व उसके लड़के ओमप्रकाश ने मृतक ओमप्रकाश के साथ मारपीट कर बीच रास्ते में ही उसे छोड़ दिया। जहां से उसे कालूराम स्वामी लेकर नोहर आया। उसके पश्चात् से लगातार अभियुक्त महेन्द्र मृतक ओमप्रकाश को जान से मारने की धमकियां देता रहा, उससे बचे हुए पैसों की मांग करता रहा और अभियुक्त महेन्द्र के द्वारा मृतक ओमप्रकाश को लगातार उपर्युक्तानुसार दुष्प्रेरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसने स्प्रे (कीटनाशक) पीकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डनीय रही है।

37. इस प्रकार पत्रावली पर आई उपर्युक्त समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के किए गए उपर्युक्तानुसार विवेचन एवम् विधिक स्थिति के दृष्टिगत अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है कि अभियुक्त महेन्द्र ने दिनांक 12–08–2021 को एवम् इससे पूर्व परिवादी सुशील के भाई ओमप्रकाश को रूपयों के लेनदेन के कारण तंग–परेशान व मारपीट कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर उसे आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप ओमप्रकाश के द्वारा जहर पीकर आत्महत्या कर ली गई। पत्रावली पर आई साक्ष्य से अभियुक्त महेन्द्र के द्वारा मृतक ओमप्रकाश को जबरदस्ती जहर पिलाकर उसकी मृत्यु कारित करने का तथ्य साबित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में

अभियुक्त महेन्द्र को धारा 306 भा0दं0सं0 के तहत दोषसिद्ध किया जाना एवम् उक्त अभियुक्त महेन्द्र को धारा 302 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

–: आदेश :–

38. परिणामस्वरूप अभियुक्त महेन्द्र पुत्र रावताराम निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ को धारा 306 भा0दं0सं0 के आरोप के तहत दोषसिद्ध किया जाता है एवम् उक्त अभियुक्त को धारा 302 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के जमानत–मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(रामकन्या सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0–2
नोहर, जिला–हनुमानगढ़

–: सजा के बिन्दु पर :–

39. सजा के बिन्दु पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य नहीं है। उसके परिवार में छोटे–छोटे बच्चे हैं। उसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। उसके जेल जाने से उसके परिवार पर आय व बच्चों के भरण–पोषण का संकट खड़ा हो जाएगा। वह इस प्रकरण की अन्वीक्षा वर्ष 2021 से भुगत रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को कम से कम सजा से दण्डित किया जाए। जिसका घोर विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियुक्त को कठोर से कठोर कारावास से दण्डित किया जाए।

40. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का पुनः परिशीलन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, अर्थात् अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त के छोटे बच्चे होना बताया गया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों

के दृष्टिगत अभियुक्त को दोषसिद्ध आरोप में निम्नानुसार सजा से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: दण्डादेश :–

41. अतः अभियुक्त महेन्द्र पुत्र रावताराम निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ को धारा **306** भा0दं0सं0 के दोषसिद्ध आरोप में **5 वर्ष के साधारण कारावास, ₹10,000/-** अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा व पुलिस अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि मूल सजा में नियमानुसार समायोजित की जाए। अभियुक्त का सजा वारंट जारी हो। प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत का निस्तारण बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार संबंधित थानाधिकारी द्वारा किया जाए।

(रामकन्या सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0–2
नोहर, जिला–हनुमानगढ़

42. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक **22–07–2026** को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकन्या सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0–2
नोहर, जिला–हनुमानगढ़